राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

वाद संख्या–03/2024
सोनु कुमार सिंह बनाम् सरोज देवी।

यह वाद श्री सोनु कुमार सिंह, पिता–श्री रामायण सिंह, पता–ग्राम+पोस्ट–अराक, थानाा–कृष्णाब्रह्म, जिला–बक्सर द्वारा श्रीमती सरोज देवी, पति–श्री परमानन्द यादव, पता–चक्की, विशेश्वर डेरा, थाना–ब्रह्मपुर, जिला–बक्सर (वर्तमान जिला परिषद् सदस्य, बक्सर) के विरूद्ध बिहार नगर पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1)(j)–सह–पठित(136)(2) के तहत भ्रष्ट आचरण हेतु जिला परिषद् सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–चक्की–12, के पद से निरर्हित कर पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वादी का पक्ष श्री विद्वान अधिवक्ता श्री माया शंकर मिश्रा द्वारा रखा गया, जबकि प्रतिवादी का पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री निरंजन कुमार द्वारा रखा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा अभिलेखों के सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं जिला पक्ष रखने हेतु श्री विद्यानाथ पासवान, एवं श्री सचीन कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान संविदा से संबंधित राशि को प्राप्त किया गया है, जबकि किसी भी पंचायत प्रतिनिधि के लिए ऐसा किया जाना प्रतिबंधित है। उनके द्वारा अपने दावें के समर्थन में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7996/पं0 रा0, दिनांक–14.07.2023 का अवलोकन कराया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना योजनाओं की कार्यान्वयन के लिए सामग्री आदि का क्रय किसी ऐसी एजेन्सी/प्रतिष्ठान या वेंडर से नहीं की जा सकती, जो पंचायत प्रतिनिधि या उसकी पत्नी/पति या आश्रित पुत्र/पुत्री के नाम से निबंधित है। आगे उनके द्वारा साक्ष्य में संलग्न किए गए, अभिलेख का अवलोकन कराया गया, जिसमें सरोज देवी के खाते में भुगतान करने हेतु भुगतानादेश निर्गत किया गया है।

इस प्रकार प्रतिवादी का उक्त कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। अतः उन्हें बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1)(j) के तहत अयोग्य घोषित करते हुए, पद से अविलम्ब पदमुक्त किया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के उक्त तर्कों का खण्डन किया गया तथा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी का आरोप गलत तथ्यों पर आधारित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी का निर्वाचन के पूर्व से ही अपना व्यवसाय है, जिसके तहत वह निर्माण सामग्रियों यथा–ईट, सरिया, बालू, सिमेन्ट, गिट्टी आदि की आपूर्त्ति करती है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके प्रतिस्थान का वैध पंजीकरण

संख्या–10AUZPD5420E1ZZ तथा G.S.T. No. 10AUZPD5420E1ZZ है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद–19 एवं 21 के तहत अपने एवं अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु वैध रूप से व्यवसाय करने का मूल अधिकार प्राप्त है।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि दिनांक–18.12.2020 को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा में वित्त वर्ष–2020–21 के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बक्सर, जिला अभियन्ता, जिला परिषद्, बक्सर–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, लघु सिचाई, प्रमण्डल, बक्सर के पत्रांक–62 एवं 63, दिनांक–29.05.2021 से विचाराधीन कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति हुई। उनके द्वारा इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि उक्त कार्य जिला अभियन्ता, जिला परिषद्, बक्सर के एजेन्सी द्वारा सम्पादित किया गया। उक्त कार्य के कार्यादेश ज्ञापांक–63, दिनांक–29.05.2021 में यह स्पष्ट है कि कार्य को तीन माह में संपादित करना था। साथ ही साथ आदेश की कंडिका–08 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि योजना के कार्यान्वयन में विचौलिया या ठेकेदार को नहीं रखा जायेगा। इस प्रकार उक्त कार्य अगस्त, 2021 में समाप्त हो गया। इस तथ्य की पुष्टि M.B No. 165 से भी की जा सकती है, जिसमें कार्य समाप्ति दिनांक–29.08.2021 दर्ज है।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उक्त कार्य के लिए उनके मुवक्किल द्वारा केवल निर्माण सामग्रियों की आपूर्त्ति की गयी। उक्त कार्य न तो उनकों आवंटित था और न ही वह उस समय निर्वाचित जनप्रतिनिधि थी। उस समय उनका Status मात्र एक व्यवसाय का था।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल द्वारा दिनांक–25.10.2021 को जिला परिषद् सदस्य चक्की–12, जिला–बक्सर के पद हेतु नामांकन दाखिल किया गया, जिसपर दिनांक–17.11.2021 को वह विधिवत् निर्वाचित घोषित की गयी है। निर्वाचन के उपरांत न तो उनके द्वारा जिला परिषद् के किसी कार्य के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्त्ति की गयी है और न ही इसके लिए कोई राशि किसी माध्यम से प्राप्त की गयी है। इस प्रकार वादी का दावा दिगभ्रमित करने वाले तथ्यों पर आधारित है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके पूर्व के किये गये, निर्माण सामग्री की आपूर्त्ति का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाए, अथवा कार्यकारी एजेन्सी की खाते के माध्यम से उनके खाते में किया जाए, यह निर्णय और अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला, बक्सर का था और इसका जवाब वही दे सकते है। अतः प्रमाणित है कि उनको प्राप्त होने वाला भुगतान उनके निर्वाचित होने से पूर्व किये गये, निर्माण सामग्री की आपूर्त्ति के बदले किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता, इस प्रकार वादी का दावा तथ्यों का तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत करने पर आधारित है, जो कि सत्य पर आधारित नहीं है, अतएव वाद को अविलम्ब खारिज किया जाना चाहिए।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–16–0629,/पं0, दिनांक–11.03.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् है:–

क्र0सं0	योजना का नाम	सामग्री आपूर्त्ति की तिथि	सामग्री का नाम	मात्रा	आपूर्त्ति के पश्चात् भुगतान की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरक से भरियार तक धर्मावती नदी में किसानों के सिचाई हेतु बिन्द टोली स्थल पर चैक डैम का निर्माण कार्य (पंद्रहवी टाईड)	09.07.2021	लोकल बालू	15.20 M^3	25.10.2022	
			भाड़ा	15.20 M^3		
			सिमेन्ट	354 Bags		
			भाड़ा	354 Bags		
			स्टोन चिप्स	25.04 M^3		
			भाड़ा	25.04 M^3		
			कोर्स सैंड	34.78 M^3		
			भाड़ा	34.78 M^3		
2.	चक्की भांगड़ क्षेत्र अन्तर्गत विशेश्वर डेरा के सामने संचय हेतु चैक डैम का निर्माण कार्य (पंद्रहवी टाईड)	24.08.2021	लोकल बालू	15.35 M^3	25.10.2022	
			भाड़ा	15.35 M^3		
			सिमेन्ट	359 Bags		
			भाड़ा	359 Bags		
			स्टोन चिप्स	25.36 M^3		
			भाड़ा	25.36 M^3		
			कोर्स सैंड	35.30 M^3		
			भाड़ा	35.30 M^3		
3.	चक्की पंचायत के विशेश्वर डेरा के मुख्य सड़क से केशो यादव के घर तक पथ में मिट्टी, ईट सोलिंग एवं पी0सी0सी0 निर्माण कार्य (पंद्रहवी अनटाईड)	21.09.2021	लोकल बालू	72.88 M^3	25.10.2022	
			भाड़ा	72.88 M^3		
			सिमेन्ट	372 Bags		
			भाड़ा	372 Bags		
			स्टोन चिप्स	51.80 M^3		
			भाड़ा	51.80 M^3		
			कोर्स सैंड	25.90 M^3		
			भाड़ा	25.90 M^3		

अतः PFMS के माध्यम से भुगतान की गयी राशि से संबंधित प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही हैं।

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों, विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी का दावा तथ्यतः सही नहीं है। साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनने के पूर्व से ही ऐसी व्यवसाय के प्रतिष्ठान के मालकिन है, जो निर्माण सामग्री की आपूर्त्ति करती हैं। विचाराधीन वाद में भी उनके द्वारा नामांकन के पूर्व ही ऐसे एजेन्सी को सामग्री की आपूर्त्ति की है, जिसमें जिला परिषद् से संबंधित योजनाओं का निष्पादन किया है। इस आपूर्त्ति हेतु उन्हें भुगतान PFMS के माध्यम से निर्वाचन के उपरांत प्राप्त हुआ है, परन्तु इस भुगतान प्राप्ति में किसी प्रकार के कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार का प्रमाण वादी द्वारा अथवा जिला प्रशासन की तरफ से उजागर नहीं किया गया है। अतः वादी का दावा सत्यापित नहीं होता।

वादी द्वारा संदर्भित पत्र विभागीय पत्रांक–7996, दिनांक–14.07.2023 प्रतिवादी को भुगतान के उपरांत निर्गत है। अतः इसे भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रतिवादी को आपूर्त्ति के बदलें सभी भुगतान दिनांक–25.10.2022 को ही प्राप्त हो चुके हैं। यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त विभागीय पत्र पंचायती राज संस्थान के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं उनके संबंधियों पर उस समय लागू होता है, जबकि पदधारक रहते हुए, उनके द्वारा स्वयं के एजेन्सी या प्रतिस्थान से क्रय किया हो।

उक्त वर्णित स्थिति में वादी का दावा वास्तविक तथ्य से भिन्न रहने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अतः उनके दावें/अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
30.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
30.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–03/2024 1773 **पटना, दिनांक–** 30.04.2026

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **बक्सर**/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, **बक्सर** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, **बक्सर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

30/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–03/2024 1773 **पटना, दिनांक–** 30.04.2026

प्रतिलिपि–वादी श्री सोनु कुमार सिंह, पिता–श्री रामायण सिंह, पता–ग्राम+पोस्ट–अराक, थाना–कृष्णाब्रह्म, **जिला–बक्सर** एवं श्रीमती सरोज देवी, पति–श्री परमानन्द यादव, पता–चक्की, विशेश्वर डेरा, थाना–ब्रह्मपुर, **जिला–बक्सर** (वर्तमान जिला परिषद् सदस्य, बक्सर) को सूचनार्थ प्रेषित।

30/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–03/2024 1773 **पटना, दिनांक–** 30.04.2026

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी